Closure of Army Surplus B Vehicle Scheme

The Scheme for 'Release of Surplus B Vehicles to Ex-servicemen, their widows and co-operative societies of ex-servicemen' is under consideration for permanent closure. Ex-servicemen applicants registered with Directorate General Resettlement for the scheme may apply for refund of security deposit, if desired, through the concerned ZSB/RSB to Directorate General Resettlement.

भूतपूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं और पूर्व सैनिकों की सहकारी समितियों को अधिशेष बी वाहन जारी करने की योजना (Army Surplus B Vehicle Scheme) स्थायी रूप से बंद करने के लिए विचाराधीन है। योजना के लिए पुनर्वास महानिदेशालय के साथ पंजीकृत इच्छुक भूतपूर्व सैनिक आवेदक संबंधित जेडएसबी/आरएसबी के माध्यम से पुनर्वास महानिदेशालय को सुरक्षा जमा राशि की वापसी के लिए आवेदन कर सकते हैं।